

मुख्य अभियंता (दक्षिण) का कार्यालय

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक:- भवन/मु0अभि0(द0)यो0विविध-08-101/18.....पटना, दिनांक.....
प्रेषक,

राकेश कुमार,
मुख्य अभियंता (दक्षिण)।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, सासाराम/भभुआ।

विषय:- पुनरीक्षित प्राक्कलन में अतिरिक्त मदों को शामिल नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्ताव में अतिरिक्त मदों के रूप में वैसे मदों को शामिल किया जाय जो भवन के निर्माण कार्य की पूर्णता के लिए अभिन्न हो परन्तु प्रायः वैसे मदों (फर्नीचर आदि) को भी शामिल किया जा रहा है जिनका प्रावधान तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन अथवा प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति में नहीं होता है।

अतः अनुरोध है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन के प्रस्ताव में अभिन्न मदों के अतिरिक्त वैसे मदों को शामिल नहीं किया जाय जिनका प्रावधान तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन एवं प्रशासनिक स्वीकृति में नहीं किया गया हो।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राकेश कुमार)

मुख्य अभियंता (दक्षिण)।

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-सभी कार्यपालक अभियंता, दक्षिण बिहार उपभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

मुख्य अभियंता (दक्षिण)।

ज्ञापांक:-.....539

पटना, दिनांक-14/1/20

प्रतिलिपि:-आई0टी0, मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता (दक्षिण)।